कार्यक्षेत्र (Functions)

राज्य से संबधित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें एवं कर्मचारियों/आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतें इस विभाग में प्राप्त होती है साथ ही सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें व अतिक्रमण से संबंधित परिवाद, जो जन समस्याओं की श्रेणी में आते हैं उनका निस्तारण इस विभाग द्वारा उनके संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर किया जाता है। शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नही ं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है।

मई 1992 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त व राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित जन सुनवाई में उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण करने हेतु उन्हें जन अभियोग निराकरण विभाग में भेजा जाये और वांछित कार्यवाही/शिकायतों का निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जावे, जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास अधिक बढ़े। जिसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल सचिवालय में भी महामहिम राज्यपाल महोदय को प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन इसस विभाग को अग्रेषित किये जाने लगे जिससे इस विभाग में प्राप्त होने वाले परिवादों की संख्या में वृद्वि हुई है।

प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निवारण हेतु जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की स्थापना 12.03.1973 में गई थी। दिनांक 20 अक्टूबर 1983 में महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृती उपरांत जिला स्तरीय जिला सर्तकता समिति का गठन किया गया। जिलों में प्रत्येक माह में एक बार सर्तकता समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण एवं शेष रहे प्रकरणों की सूची इकजाई कर भिजवाई जाती है जिलों में होने वाली बैठकों की मॉनिटरिंग इस विभाग द्वारा की जाती है। अधिक लंबित वाले जिलों को समय–समय पर पत्र लिख कर दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है।